

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3704] No. 3704] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 2019/कार्तिक 24, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019/KARTIKA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

का.आ. 4126(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के निम्नलिखित उपबंधों, जो निगमित ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं से संबंधित हैं, के लिए 01 दिसम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे:—

- (1) धारा 2 का खंड (ङ);
- (2) धारा 78 (प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के अलावा) और धारा 79;
- (3) धारा 94 से धारा 187 [इन दोनों धाराओं सहित];
- (4) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (छ) से खंड (झ);
- (5) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (ड) से खंड (यग);
- (6) धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (यढ) से खंड (यध); और
- (7) धारा 249।

[फा. सं. 30/21/2018-दिवाला अनुभाग] ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

5912 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

- **S.O.** 4126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 2019 as the date on which the following provisions of the said Code only in so far as they relate to personal guarantors to corporate debtors, shall come into force:—
 - (1) clause (e) of section 2;
 - (2) section 78 (except with regard to fresh start process) and section 79;
 - (3) sections 94 to 187 [both inclusive];
 - (4) clause (g) to clause (i) of sub-section (2) of section 239;
 - (5) clause (m) to clause (zc) of sub-section (2) of section 239;
 - (6) clause (zn) to clause (zs) of sub-section (2) of section 240; and
 - (7) section 249.

[F. No. 30/21/2018-Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.